(भारत के राजपत्र,असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

शुध्दि पत्र

नई दिल्ली, दिनांक 19 जुलाई, 2010

आयकर

का.आ. (अ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की अधिसूचना संख्या 41/2010 दिनांक 31 मई 2010 जिसका का.आ. 1261 (अ) है तथा जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (ii),दिनांक 31 मई, 2010 को प्रकाशित हुई थी, में –

(i) पृष्ठ 24 में उपनियम (8) की तीसरी पंक्ति में, पृष्ठ 26 पर उपनियम (7) की चौथी पंक्ति में, पृष्ठ 28 में उपनियम (6) की तीसरी पंक्ति में, पृष्ठ 30 पर उपनियम (7) की तीसरी पंक्ति में तथा, उपनियम (5) की चौथी पंक्ति में ''(संशोधन)'' के स्थान पर ''(छठवां संशोध्न)'' पढ़ा जाये ;

(ii) राजपत्र अधिसूचना के पृष्ठ 31 पर भाग (ख) के खंड (ख) की प्रथम पंक्ति में ''फार्म सं. 12 खख'' के स्थान पर ''फॉर्म 12 खक'' पढ़ा जाये ।

(iii) राजपत्र अधिसूचना के पृष्ठ 36 पर मद (1) के शीर्षक की प्रथम पंक्ति में ''चालान के माध्यम से''के स्थान पर ''बही प्रविष्टि के माध्यम से'' पढ़ा जाये ।

(iv) राजपत्र अधिसूचना के पृष्ठ 37 पर टिप्पण 5 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण को अंत: स्थापित किया जाएगा ।

''6. संगत तिमाही के दौरान एक से अधिक संदाय / जमा होने पर संदाय के सारांश के लिए अलग से संलग्नक लगाएं'' और

(v) राजपत्र अधिसूचना के पृष्ठ 42 पर टिप्पण 5 के पश्चात निम्नलिखित टिप्पण को अंत:स्थापित किया जाऐगा:-

''6. संगत तिमाही के दौरान एक से अधिक प्राप्ति/ विकलन होने पर प्राप्ति के सारांश के लिए अलग से संलग्नक लगाएं''

अधिसूचना सं. 55 /2010/फा.सं.142/27/2009-अनु.अधि.(टीपीएल)

(राजेश कुमार भूत)
निदेशक (कर नीति एवं विधायन)